



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253442  
CG-DL-E-28032024-253442

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1945

No. 75]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं. 52/2023

विषय : स्कोमेट की श्रेणी 8क5 भाग 1 के तहत दूरसंचार मदों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईटी) की प्रक्रिया की अधिसूचना।

फा. सं. 01/77/171/030/एम24/ईसी(एस) कम्प्यूटर सं. 36771.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के अध्याय 10 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा 10.15 (i): स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 2 के अंतर्गत दूरसंचार मदों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईटी)

स्वदेशी स्कोमेट मदों (स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 1 के तहत दूरसंचार मदों) के निर्यात को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक बार के सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईटी) के आधार पर अनुमति दी जाएगी:

1. नीति और पात्रता: निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 2 के तहत सूचना सुरक्षा मदों (प्रौद्योगिकी की और सॉफ्टवेयर को छोड़कर) के निर्यात और/या पुनः निर्यात के लिए स्कोमेट प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी:

क. आवेदक निर्यातक को ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीएईटी के तहत एक बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करना होगा और निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी संलग्न करनी होगी।

- ख. निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदक निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आइएमडब्ल्यूजी) द्वारा जीएईटी जारी करने के लिए आवेदन की समीक्षा/जांच की जाएगी:
- i. संबंधित तकनीकी विवरण/विशिष्टताओं के साथ इस प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात की जाने वाली मदों का विस्तृत विवरण;
  - ii. प्राधिकार पत्र जारी करने से पहले आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी संस्थाओं (खरीदार, परिशेती, अंतिम उपयोगकर्ता और कोई अन्य मध्यस्थ) से लेटरहेड पर (विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित) अंतिम-उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) जमा किया जाना है। देशों की सूची (यथा अनुमोदित) में संस्थाओं के लिए बाद में ईयूसी प्रस्तुतियाँ नीचे बिन्दू viii में यथा उल्लिखित पोस्ट-रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन होंगी।
  - iii. उन देशों की सूची जहां जीएईटी के तहत निर्यात किए जाने की उम्मीद है, आवेदक को आवेदन जमा करते समय प्रस्तुत करना होगा।
  - iv. फर्म के लेटरहेड पर निम्नलिखित के बारे में जानकारी देते हुए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई गई वचनबद्धता:
    1. यदि डीजीएफटी या भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी ऑन-साइट निरीक्षण की आवश्यकता हो तो आवेदक निर्यातक द्वारा इसकी अनुमति दी जाएगी;
    2. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि जिन मदों का निर्यात किया जाना है, उनका उपयोग ईयूसी में बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए नहीं किया जाएगा और इस तरह के उपयोग को न ही बदला जाएगा और न ही सरकार की पूर्व सहमति के बिना मदों को संशोधित किया जाएगा या दोहराया जाएगा।
    3. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि निर्यात प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद, यदि लाइसेंसधारी को डीजीएफटी द्वारा लिखित रूप में सूचित किया गया है या यदि वे जानते हैं या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई मद सेना के लिए या इसमें उपयोग का संभावित जोखिम है या सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) या उनकी मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी में उपयोग हो सकती है तो निर्यातक उस/उन वस्तुओं के निर्यात के लिए जीएईटी के लिए पात्र नहीं होगा और नियमित नीति के संदर्भ में नए प्राधिकार पत्र के लिए डीजीएफटी को अलग से आवेदन करेगा।
    4. किसी भी गलत घोषणा के लिए निर्यातक के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  - v. कंपनी के अनुपालन प्रबंधक द्वारा प्रमाणित/अनुमोदित आंतरिक अनुपालन कार्यक्रम।
  - vi. अधिकृत आर्थिक संचालक (ईओ) सीबीआईसी का टी2 प्रमाणन।
  - vii. आयातित मदों को पुनः निर्यात करने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे:
    - (i) मद (मदों) के आयात का साक्ष्य:
      - दस्तावेजी साक्ष्य कि मूल रूप से आयातित मद (मदें) पुनः निर्यात की अपेक्षित मद (मदों) के साथ मेल खाती है;
      - पुनः निर्यात की जाने वाली मदों के विवरण सहित प्रविष्टि बिल;
      - निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो) अथवा कोई अन्य दस्तावेज जो यह दर्शाता है कि भारत से पुनः निर्यात पर निर्यात करने वाले देश का निर्यात विनियमन का कोई प्रतिबंध नहीं है;
      - ऐसे किसी भी प्रतिबंध होने के मामले में, निर्यातक, उन देशों/इकाइयों की सूची का विवरण देते हुए स्पष्टीकरण पत्र देगा, जहां पुनः निर्यात/वापसी प्रतिबंधित/विनियमित है;
      - क्रय आदेश
  - viii. आवेदक निर्यातक को जीएईटी प्राधिकार पत्र के जारी होने के बाद और वास्तविक निर्यात से पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:
    1. वे प्रत्येक निर्यात के लिए अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र (ईयूसी) के साथ, ऐसे निर्यात के निर्धारित प्रारूप [आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 10ज] में त्रैमासिक आधार पर डीजीएफटी के ऑनलाइन पोर्टल में संबंधित सरकारी अधिकारियों को सूचित करेंगे।

2. निर्धारित प्रोफार्मा में ईयूसी (परिशिष्ट 10अ(i)) को आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी संस्थाओं उदाहरणतः विदेशी खरीदार/प्रेषिती/अंतिम-उपयोगकर्ता/मध्यस्थ (मध्यस्थों) द्वारा संबंधित इकाई के लेटरहेड पर स्याही से विधिवत हस्ताक्षरित और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाकर भरा जाना है। ईयूसी के साथ उपयोग की जाने वाली किसी भी अतिरिक्त शीट के मामले में, वह उसी कंपनी के लेटरहेड पर होनी चाहिए और उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए जो ईयूसी पर हस्ताक्षर करता है।

3. उनके पास एक समझौता या खरीद आदेश है, मद प्राप्त करने वाली इकाई (खरीदार/प्रेषिती/अंतिम उपयोगकर्ता) से अनुबंध का एक अंश है जो बताता है कि निर्यात अनुमत उपयोग/अंतिम उपयोग के लिए है जैसा कि वास्तविक निर्यात से पूर्व ईयूसी में घोषित किया गया था;

4. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वास्तविक निर्यात से पूर्व ईयूसी पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी शामिल होना चाहिए।

5. अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो, जो डीजीएफटी द्वारा मांगा गया है।

## 2. जीएटीई के तहत वस्तुओं के निर्यात/पुनः निर्यात के लिए पोस्ट-रिपोर्टिंग

क. भारतीय निर्यातक को जीएटीई के तहत उपरोक्त श्रेणियों/उप-श्रेणियों के तहत स्कोमेट मदों के प्रत्येक निर्यात/पुनः निर्यात का 3 साल के लिए तिमाही आधार (मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर) पर अगले महीने के अंत तक पिछली तिमाही में किए गए निर्यात के संबंध में प्रत्येक तिमाही का पोस्ट-शिपमेंट विवरण प्रस्तुत करना होगा;

ख. आयातित मदों के पुनः निर्यात के मामले में, 1.ख.vii.(i) में यथा उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज पोस्ट-रिपोर्टिंग के समय जमा करने होंगे;

ग. ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/या जीएटीई को स्थगित/निरस्त किया जा सकता है।

## 3. रिकॉर्ड रखना

निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए जीएटीई की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.18 के अनुसार मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी निर्यात दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना अपेक्षित होगा।

## 4. सामान्य भारते और अपवर्जन

क. जीएटीई जारी नहीं किया जाएगा यदि मदों को सैन्य अनुप्रयोग, विस्फोटक रसायन, जैविक, परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों की डिलिवरी करने में सक्षम मिसाइल और उनकी डिलिवरी प्रणाली के प्रयोग और/अथवा उनके डिजाइन, विकास, अधिग्रहण या विनिर्माण, रखने, परिवहन, हस्तांतरण हेतु प्रयोग किया जाएगा।

ख. यूएनएससी प्रतिबंध या प्रतिबंध सूची में शामिल देशों अथवा ईकाइयों हेतु या प्रसार संबंधी चिंताओं का मूल्यांकन अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति कारणों आदि से जीएटीई जारी नहीं किया जाएगा:

ग. नए देशों को शामिल करने या उन देशों की मौजूदा सूची में संशोधन के मामले में जहां जीएटीई के तहत निर्यात किया जाना अपेक्षित है, आवेदन निर्यातक को प्रासंगिक विवरण के साथ डीजीएफटी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

घ. आइएमडब्ल्यूकी के पास कोई भी कारण (कारणों) को बताएं बिना जीएटीई को जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

## 5. वैधता

क. उपर्युक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात हेतु जारी किया गया जीएटीई, जीएटीई के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा बशर्ते कि अंतिम तिमाही से 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक आधार पर आगामी पश्च रिपोर्टिंग (रिपोर्टिंग्स) की जाए।

ख. जीएटीई का प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 10.20 के अनुसरण में पुनः वैधीकरण नहीं किया जा सकता है।

## 6. निलंबन/निरसन

जरी किया गया जीएटीई का प्रसार संबंधी चिंताओं पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनिवार्य पश्च-पोतलदान विवरण/रिपोर्ट/दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए अथवा प्रस्तावित नीति की शर्तों का अनुपालन न होने पर डीजीएफटी द्वारा निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** दूरसंचार मदों के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र हेतु प्रक्रिया को प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 10.15 (I) के तहत अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक 1

सार्वजनिक सूचना सं. के माध्यम से अधिसूचित जीईटी नीति के अंतर्गत निर्यात/पुनः निर्यात के लिए स्कोमेट श्रेणी 8 भाग 1 के तहत बाहर किए गए मर्दों की सूची

क्र.सं.	स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी	विवरण (कृपया डीजीएफटी वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक 28.08.2023 को अद्यतित की गई अद्यतन स्कोमेट सूची देखें)
1	8क501 ख.5	डिजिटल रूप में नियंत्रित होने वाले रेडियों रिसेवर में निम्नलिखित सभी होते हैं: क. 1000 से अधिक चैनल; ख. 1 एमएस से कम का 'चैनल स्विचिंग समय' ग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक भाग की स्वचालित खोज या स्कैनिंग, और घ. प्राप्त संकेतों या ट्रांसमीटर के प्रकार की पहचान; या <b>टिप्पणी</b> : 8क501 ख.5 सिविल सेलुलर रेडियों संचार प्रणालियों के साथ उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेडियों उपकरणों पर लागू नहीं होता है। <b>तकनीकी टिप्पणी</b> : 'चैनल स्विचिंग समय': अंतिम विनिर्दिष्ट प्राप्त आवृत्ति के 10.05% पर या उसके भीतर पहुंचने के लिए एक प्राप्त आवृत्ति से दूसरे में बदलने का समय (अर्थात् विलंब)। जिन वस्तुओं की केन्द्र आवृत्ति सीमा होती है, उन्हें चैनल आवृत्ति स्विचिंग में असमर्थ माना जाता है।
2	8क501 ज	काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस उपकरण और संबंधित उपकरण इस प्रकार हैं: 1. रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) संचारण उपकरण, जो 8क501.घ द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज़ (आईईडी) के समय से पहले सक्रिय करने या रोकने के लिए डिज़ाइन या संशोधित किया गया है। 2. उसी फ्रीक्वेंसी चैनलों में रेडियों संचार को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई तकनीकों का उपयोग करने वाले उपकरण जिस पर 8क201.ज.1 द्वारा विनिर्दिष्ट सह-स्थित उपकरण संचालित कर रहा है। नोट करें: श्रेणी 5 भी देखें

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 27th March, 2024

**No. 52/2023**

**Subject:-** Notification of procedure for General Authorisation for Export of Telecommunication items (GAET) under Category 8A5 Part I of SCOMET- reg

**F. No. 01/77/171/030/AM24/EC(S)/ Computer no. 36771.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes the following amendment to Chapter 10 of Handbook of Procedures (HBP) 2023 with immediate effect:

**Para 10.15(I): General Authorization for Export of Telecommunication-related items under SCOMET Category 8A5 Part 1 (GAET)**

Export of indigenous/imported SCOMET items (Telecommunication items under SCOMET Category 8A5 Part 1) will be allowed based on a one-time General Authorization (GAET) subject to the following conditions:

1. **Policy & Eligibility:** SCOMET authorization will not be required, for the export and/or re-export of Telecommunication items (excluding technology and software) under SCOMET Category 8A5 Part 1(except items listed in Annexure-I) subject to the following conditions:
  - a. The applicant exporter shall submit an application for getting a one-time license under GAET through the online SCOMET portal and attach the information in the prescribed proforma;
  - b. The application would be reviewed/examined for the issuance of GAET by the Inter-Ministerial Working Group (IMWG) based on the submitted application and other supporting documents submitted by the applicant exporter in the prescribed proforma including:
    - i. Detailed description of the items that are intended to be exported under this authorization with relevant technical details/specifications.
    - ii. End-user certificate (EUC) from all the entities involved in the supply chain (buyer, consignee, end user, and any other intermediary) on the letterhead (duly signed and stamped) is to be submitted before issuance of authorization. Subsequent EUC submissions for entities in the list of countries (as approved) will be subject to post-reporting requirements as mentioned at viii below.
    - iii. The list of countries where the export is expected to be done under GAET is to be provided by the applicant at the time of submission of the application.
    - iv. Undertaking on the letterhead of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating the following:
      1. Any on-site inspection will be allowed by the applicant exporter if required by the DGFT or authorized representatives of the Government of India;
      2. The applicant exporter declares that the items that are intended to be exported shall not be used for any purpose other than the purpose(s) stated in the EUC and that such use shall not be changed nor the items modified or replicated without the prior consent of the Government of India.;
      3. The applicant exporter declares that subsequent to the issuance of export authorization, if the licensee has been notified in writing by DGFT or if they know or has reason to believe that an item may be intended for military end use or has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in delivery of their missile system, the exporter would not be eligible for GAET for export of that/those item(s) and would apply separately to DGFT for a fresh authorization in terms of regular policy.
      4. Action will be taken against the exporter under FT (D & R) Act, 1992 for any mis-declaration.
    - v. Certified/Approved Internal Compliance Programme by the Compliance Manager of the Company.
    - vi. Authorized Economic Operator (AEO) T2 Certification of CBIC.
    - vii. In case of re-export of imported items, the following additional documents have to be submitted:
      - (i) Proof of import of the item(s):
        - Documentary proof that the item(s) originally imported, match with intended item(s) of re-export;
        - Bill of entry containing details of the items to be re-exported;
        - Export License (if applicable) or any other documents showing that export regulation of the country of export does not have any restriction on re- export from India;
        - In case of any such restriction, the exporter will provide a letter of explanation detailing the list of countries/entities, to which re-export/return is restricted / regulated;
        - Purchase order
    - viii. After issuance of GAET authorization and before actual export, the applicant exporter must ensure the following:
      1. They shall notify the relevant government authorities in the online portal of DGFT, on quarterly basis of such export in the prescribed format [Aayat Niryat Form (ANF)- 10H], along with the End-Use Certificate (EUC) for each export.

2. The EUCs in prescribed proforma [Appendix 10J(i)] are to be filled by all the entities involved in the chain of supply e.g. foreign buyer/consignee / end-user / intermediary (ies) on the letterhead of the respective entity, duly signed in ink and stamped by the authorized signatory of the company. In case of any additional sheet used along with the EUC, the same must be on the letterhead of the company and signed by the same person who signs the EUC.

3. They have an agreement or purchase order, an excerpt of a contract from the entity (buyer/consignee/end-user) receiving the items which state that the export is for a permitted use / an end-use as declared in the EUC before the actual export;

4. The documents submitted by the exporter must include the name, contact number and email ID of the authority signing the EUC before actual export.

5. Additional details, if any sought by DGFT

2. **Post Reporting for export / re-export of items under GAET**

a. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each export/re-export of SCOMET items under the above Categories/sub-categories under GAET for 3 years on quarterly basis (March/June/September/December) by the end of subsequent month of each quarter, in respect of exports made in the previous quarter;

b. In case of re-export of imported items, the additional documents as mentioned in 1.b.vii.(i) have to be submitted at the time of post reporting.

c. Failure to do so may entail imposition of penalty and/or suspension/revocation of GAET.

3. **Record Keeping**

The exporter will be required to keep records of all the export documents, in manual or electronic form, in terms of Para 10.18 of HBP, for a period of 5 years from the date of GAET issued by DGFT.

4. **General Conditions & Exclusions**

a. GAET would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, or manufacture, possess, transport, transfer and/or used for military applications, explosives, chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;

b. GAET would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo or sanctions list or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.:

c. In case of inclusion of new countries or amendment to the existing list of countries where the export is expected to be done under GAET the applicant exporter will obtain prior permission of DGFT with relevant details;

d. IMWG shall reserve the right to deny the issue of GAET without assigning any reason(s)

5. **Validity**

a. GAET issued for export / re-export of SCOMET items under the above Categories / Sub Categories shall be valid for **Three years** from the date of issue of GAET subject to subsequent post reporting(s) on quarterly basis to be reported within 30 days from the last quarter;

b. GAET cannot be revalidated in terms of Paragraph 10.20 of HBP 2023.

6. **Suspension/Revocation:**

GAET issued shall be liable to be suspended/revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory post-shipment details/reports / documents within the prescribed timelines or non-compliance with the conditions of the proposed policy.

**Effect of this Public Notice:**

The procedure for General Authorization for Export of Telecommunication items (GAET) under Paragraph 10.15(I) of the HBP 2023 is notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.

## Annexure 1

List of Items excluded under SCOMET Category 8 Part 1 for export/re-export under GAET policy notified vide Public Notice No.

S.No.	SCOMET Category/ Sub Category	Description [Please refer updated SCOMET list as updated on 28.08.2023 available of DGFT website)
1	8A501 b. 5.	<p>Being digitally controlled radio receivers having all of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>More than 1,000 channels;</li> <li>A 'channel switching time' of less than 1 ms;</li> <li>Automatic searching or scanning of a part of the electromagnetic spectrum; and</li> <li>Identification of the received signals or the type of transmitter; or</li> </ol> <p><b>Note</b> 8A501.b.5 does not apply to radio equipment specially designed for use with civil cellular radio-communications systems.</p> <p><b>Technical Note:</b> 'Channel switching time': the time (i.e., delay) to change from one receiving frequency to another, to arrive at or within <math>\pm 0.05\%</math> of the final specified receiving frequency. Items having a specified frequency range of less than <math>\pm 0.05\%</math> around their centre frequency are defined to be incapable of channel frequency switching.</p>
2	8A501 h.	<p>Counter Improvised Explosive Device (IED) equipment and related equipment, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Radio Frequency (RF) transmitting equipment, not specified by 8A501.f, designed or modified for prematurely activating or preventing the initiation of Improvised Explosive Devices (IEDs);</li> <li>Equipment using techniques designed to enable radio communications in the same frequency channels on which co-located equipment specified by 8A501.h.1 is transmitting.</li> </ol> <p>N.B. See also Category 6</p>